UPSI120000682001

**न्यायालय सिविल जज (जू०डि०)/न्यायिक मजिस्ट्रेट, बिसवाँ– सीतापुर।**
**पीठासीन अधिकारी(कुंवर दिव्यदर्शी)(उ०प्र०न्यायिक सेवा)UP3421**
**दाण्डिक वाद संख्या–95/2001**

**उत्तर प्रदेश राज्य**

**.....अभियोजन।**

**बनाम**

**01.** अनन्त सिंह पुत्र कुवर बहादुर सिंह
**02.** अशोक सिंह पुत्र अनन्त सिंह
सर्वनिवासीगण ग्राम लोखरिया पुरवा थाना–रेउसा जनपद–सीतापुर।

**.....अभियुक्तगण।**

अपराध संख्या–164/2000
धारा–323, 324, 504 भा०दं०सं०
थाना रेउसा, जनपद– सीतापुर।

**निर्णय**

वादी मुकदमा रघुराज सिंह, के द्वारा थाना रेउसा, जनपद सीतापुर की पुलिस को दी गयी सूचना के आधार पर अभियोग पंजीकृत किया गया। थाना रेउसा की पुलिस द्वारा विवेचना के उपरान्त अभियुक्तगण अननत सिंह व अशोक सिंह के विरुद्ध अपराध संख्या–164/2000, अन्तर्गत धारा 323, 324, 504 भा०दं०सं०, के अन्तर्गत आरोप पत्र विचारण हेतु प्रस्तुत किया गया।

अभियोजन कथानक अनुसार वादी मुकदमा रघुराज सिंह, के द्वारा थाना रेउसा जनपद सीतापुर पर तहरीर इस आशय की पंजीकृत करवायी गयी कि दिनांक –12.10.2000 को समय करीब 10 बजे स्थान ग्राम लोखरैया थाना रेउसा, सीतापुर में मूंग घेरने के लिये गया थे तथा मूंग चीरे उसी समय बच्चो में आपस में कहा सुनी हो गयी तथा बच्चों ने आपस में कुछ गाली गलौज भी हुई। उक्त सभी घर पर आ गये उसके दौरान विपक्षी अनन्त सिंह व उसका लड़का पत्नी बच्चो सहित मेरे दरवाजे पर आये एवं मारपीट एवं गाली गलौज किया जिसके उपरान्त मेरे तथा मेरी माँ वमेरी बहन के सर में चोटे आयी है। रिपोर्ट लिखवाने आया हूँ।

वादी मुकदमा की उक्त सूचना पर पुलिस थाना रेउसा द्वारा प्रथम सूचना रिपोर्ट अपराध संख्या 164/2000, अन्तर्गत धारा 323, 324, 504 भा०दं०सं० पंजीकृत कि गयी तथा विवेचना प्रारम्भ की गयी।

विवेचना के दौरान विवेचनाधिकारी द्वारा घटनास्थल का निरीक्षण कर घटना का मानचित्र बनाया गया एवं घटना के गवाहों के बयान अंकित किये गये तथा पर्याप्त साक्ष्य पाये जाने के उपरान्त अभियुक्तगण अनन्त सिंह व अशोक के विरुद्ध अपराध अन्तर्गत धारा 323,324,504 भा०दं०सं० का आरोप पत्र न्यायालय में प्रेषित किया गया।

अभियुक्तगण को न्यायालय द्वारा सम्मन के माध्यम से तलब किया गया। अभियुक्तगण न्यायालय में उपस्थित आये तथा अपने जमानतनामें दाखिल किये। अभियुक्तगण को अभियोजन प्रपत्रों की नकलें प्राप्त करायी गयीं।

दिनाँक 20.07.2009 को अभियुक्तगण के विरुद्ध आरोप अन्तर्गत धारा 323, 324, 504 भा०दं०सं० विरचित किये गये। विरचित किये गये आरोप को अभियुक्तगण को पढ़कर सुनाया व समझाया गया। अभियुक्तगण ने विरचित किये गये आरोप से इंकार किया और विचारण की याचना की।

अभियोजन की ओर से अपने कथानक को साबित करने हेतु मौखिक साक्षियों के रूप में निम्नलिखित साक्षियों को परीक्षित कराया गया है।

Digitally signed by KUNWAR DIVYADARSHI
Date: 2026.07.28 11:34:00 IST
Reason: Document Order
Location: Civil Judge Junior Division Biswan Sitapur

| क्रम०सं० | साक्षी का नाम | साक्ष्य का प्रकार |
|---|---|---|
| 1. | रघुराज | मुख्य तथा प्रति परीक्षा |

अभियोजन द्वारा प्रलेखीय साक्ष्य के रूप में निम्नलिखित निम्नलिखित दस्तावेज प्रस्तुत किये गये हैं।

| क्रम०सं० | प्रलेख | प्रदर्श |
|---|---|---|
| 1. | आरोप पत्र | – |
| 2. | तहरीर | क[1] |
| 3. | नक्शा नजरी | – |
| 4. | चिकित्सा आख्या रघुराज सिंह | – |

अभियुक्तगण के विद्वान अधिवक्ता द्वारा अभियोजन पक्ष के विभिन्न प्रलेख की औपचारिक सत्यता को स्वीकार किया गया।

अभियोजन साक्ष्य की समाप्ति के उपरान्त दिनाँक 08.07.2026 को अभियुक्तगण अनन्त व अशोक का कथन अन्तर्गत धारा 313 दं०प्र०सं० अंकित किया गया जिसमें अभियुक्तगण ने अभियोजन कथानक को गलत है, रघुराज सिंह के बयान के विषय में कुछ नहीं कहना, मुकदमा रंजिशन चला, बचाव में कोई साक्ष्य नहीं देना व और कुछ नहीं कहना है, कहा।

विद्वान सहायक अभियोजन अधिकारी एवं अभियुक्तगण के विद्वान अधिवक्ता की बहस एवं तर्कों को विस्तार से सुना तथा पत्रावली का सम्यक परिशीलन किया।

**साक्ष्य विश्लेषणः–** न्यायालय के समक्ष मुख्य विचारणीय प्रश्न यह है कि क्या अभियोजन प्रस्तुत अभियोजन साक्ष्य के आधार पर अभियुक्तगण के विरुद्ध अपराध अन्तर्गत धारा 323, 324, 504 भा०दं०सं० को युक्ति–युक्त संदेह से परे साबित करने में सफल रहा है अथवा नहीं।

**साक्षी राघुराज सिंह ने न्यायालय के समक्ष कथन किया है कि साक्षी पी० डब्लू० 01 रघुराज सिंह ने न्यायालय के समक्ष कथन किया है कि** घटना के वावत मुझे पूरी जानकारी नही है। मुझे इतना याद है। मंजू पीटने के बावत बच्चे–बच्चे में विवाद हुआ था। कितना साल पहले हुआ था याद नही है, उसके बाद कुछ लोगो के बहकावे में आकर तैस मैं थाने चला गया था थाने चला गया था। मेरा दस्तावत सही नही कराये थे। मैंने थाने पर अनन्त सिंह व अशोक सिहं का नाम बताया था। मुझे व मेरी बहन विमाला देवी व माता स्व० निर्मला देवी को अशोक सिंह व अनन्त सिंह ने मारा पीटा नही था न गाली दिया था न किसी धारदार औजार का प्रयोग किया था। मैं बच्चो के विवाद को लेकर थाने चला गया था। मेरी माँ निर्मला देवी को आज से 3–4 वर्ष पहले मृत्यु हो चुकी है। मैंने जो डाक्टरी करवायी है। वह मुझे घर काम के दौरान गिरने से आयी थी। मुझे किसी ने मारा पीटा नही था न ही मैंने चोटो के बारे में पुलिस को बयान दिया था।

साक्षी को धारा–161 दं०प्र०सं० पढ़कर सुनाया गया तो उसने इंकार किया। यह कहना गलत है कि अनन्त सिंह व अशोक सिंह के द्वारा धारदार हथियार से मारने से मुझे व मेरी बहन व माँ को चोटे आयी थी। यह भी कहना गलत है कि मुल्जिमानों के खिलाफ बदला लेने के लिये झूठा मुकदमा लिखवाया था। यह भी कहना गलत है कि मुल्जिमानो व मैने सुलह समझौता कर लिया है, जिससे मैं झूठी गवाही दे रहा हूँ।

प्रति परीक्षा में साक्षी ने कथन किया कि प्रश्न जो आप ने बयान दिया है वह सही है?

उत्तर– जी हाँ

प्रश्न– क्या मुल्जिमानों के भय व दबाव से न्यायालय के बाहर सुलह समझौता कर लिया है?

उत्तर– जी नही।

## निष्कर्ष

पत्रावली के अवलोकन से यह स्पष्ट होता है कि साक्षी पी०डब्लू० 1 रघुराज सिंह ने न्यायालय के समक्ष यह बयान दिया की घटना की जानकारी मुझे नही है। घटना कितने साल पहले हुई मुझे नही पता मुझे व मेरी बहन को अशोक सिंह व अनन्त सिंह ने न ही मारा–पिटा और न ही गाली गलौज की। पत्रावली पर साक्ष्य का सूत्र का अवलोकन करने एवं विश्लेषण करने के उपरान्त यह प्रतीत होता है कि अभियोजन द्वारा प्रस्तुत किये गये साक्षी पी०डब्लू० 1 पर पूर्ण रूप से विश्वास किया जाना सुरक्षित नही है।

चिकित्सा साक्ष्य के अवलोकन से यह प्रतीत होता है कि चिकित्सा एक औपचारिक साक्ष्य होती है जो कारित हुई चोटों के सम्बंध में केवल अपना मत व्यक्त करता है। यह सही है कि ये चोटें अन्य कारणों से भी आ सकती हैं परन्तु इसका यह मतलब नहीं है कि अभियुक्तगण के मारने पीटने से यह चोटें आयीं। इस तर्क के सम्बंध में न्यायालय अभियोजन के मत से सहमत नहीं है तथा **अभियोजन साक्ष्य में एवं चिकित्सा साक्ष्य में विरोधाभाष उत्पन्न होता है।** उपरोक्त तथ्यों से प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों में विरोधाभाष उत्पन्न होता है।

न्यायालय विशेषज्ञ रिपोर्ट मात्र से पदकार्य निवृत्त नहीं हो जाते(Court not functus officio because of expert opinion) न्यायालय पर विशेषज्ञ रिपोर्ट बाध्यकारी नहीं होती है। विशेषज्ञ का कार्य एक राय तक ही सीमित है। मेडिकल साक्ष्य मात्र राय की साक्ष्य है और यह निर्णायक नहीं बन सकती है। **(मनीराम बनाम स्टेट आफ राजस्थान, ए०आई०आर० 1993 एस०सी० 2453)**

चिकित्सक द्वारा इस बावत केवल संभावना व्यक्त की गयी है। चूंकि चिकित्सक एक चश्मदीद साक्षी नहीं होता है केवल औपचारिक साक्षी होता है। इसलिए किसके द्वारा चोट कारित की गयी हैं इस बारे में कोई ब्यान नहीं दे सकता है केवल इतना बता सकता है कि ये चोटें किस प्रकार के हथियार से आ सकती है अथवा किस प्रकार से गिरने अथवा किसी चीज से टकराने अथवा किसी नुकीली चीज से टकराने से भी आ सकती है।

दौरान अंतिम बहस बचाव पक्ष के विद्वान अधिवक्ता द्वारा यह तर्क प्रस्तुत किया गया कि अभियोजन पक्ष ने प्रथम दृष्टया घटना को प्रमाणित नहीं किया है और अभियोजन अतिरिक्त किसी भी प्रकार के साक्षियों को न्यायालय में पेश करने में असमर्थ रहा है। बहस के दौरान अभियोजन पक्ष अनुपस्थित है।

Ram Manohar and others Vs. State of U.P. – Criminal Appeal 2109 of 1980 September 27, 1999 (Allahabad High Court)–Criminal Trial–The prosecution story has been reconstructed and evidence has been attempted to be tailored– Prosecution evidence does not stand a close scrutiny– Therefore, accused are entitled to be benefit of doubt. Touching the different aspects of the case in the light of the judicious evaluation of the evidence on record, we are of the opinion that the prosecution story has been reconstructed and the evidence has been attempted to be tailored accordingly. But several unpatchable holes are visible and the evidence of the prosecution does not stand a close scrutiny. The ocular version also as discussed hereinabove. For the reasons contained in the discussion made hereinabove, we finally reach the conclusion that the prosecution case against the accused are entitled to the benefit of doubt.

Muneshwar Singh Vs, State OF U.P.– Reference No. 9 of 1999 and Cr. A. No. 1798 of 1999 May 10, 2000 (Allahabad High Court) Criminal Law– Jurisprudence– Settled law– Prosecution has to prove the guilt of accused beyond all reasonable doubt– Any number of culprits may go scot free but a single innocent person should not be punished. The well settled law of criminal jurisprudence is that it is for the prosecution to prove the guilt of the accused beyond all reasonable doubt. The criminal

jurisprudence follows the eternal principle that any number of culprits may go scot– free but not a single innocent person should be punished. The present case against the accused seems to be largely built on suspicion only. There fore, On over all consideration of the Evidence and Circumstances accused entiled to benefit of doubt.

Sitaram Seth and others Vs. State of U.P. [2014 (85) ACC 182] – Criminal Appeal 2758 of 1985, March 11, 2014 (Allahabad High Court) Burden of prosecution– Never shifts– No good reason advanced by the deceased in support of his plea of false implication– Cannot be a ground to hold him guilty– Burden always on the prosecution to establish it's case by adducing natural and reliable evidence. For the aforesaid reasons we are of the view that the prosecution has been unable to produce cogent and reliable evidence for establishing the complicity of the crime.

अतः उपरोक्त विवेचन, विश्लेषण तथा गहनता से किये गये सम्यक परिशीलन से अभियोजन कथानक पर सन्देह से परे विश्वास नहीं किया जा सकता है। साक्षी द्वारा घटना को प्रमाणित नहीं किया गया है और उक्त साक्ष्य को भी विवेचक तथा चिकित्सक के प्रत्यक्ष साक्ष्य से साबित नहीं कराया गया है, जिसका लाभ अभियुक्तगण पाने के अधिकारी हैं। दाण्डिक विधि का प्रतिस्थापित सिद्धान्त है कि साक्ष्य का भार पूर्णतः अभियोजन पर होता है। अभियोजन को सन्देह से परे यह साबित करना होता है कि अभियुक्त द्वारा ही कथित अपराध कारित किया गया है और यदि अभियोजन द्वारा अपने कथानक को सन्देह से परे साबित नहीं किया जाता है तो अभियोजन की निर्बलता व कमियों का लाभ सदैव अभियुक्त को मिलता है। अभियुक्त के निर्दोष होने की उपधारण न्यायालय द्वारा तब तक की जाती है जब तक अभियोजन द्वारा अभियुक्त को दोषी साबित नहीं किया जाता है।

अतः प्रस्तुत मुकदमें के समस्त तथ्यों व परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए न्यायालय के अभिमत में अभियोजन पक्ष अपना केश सन्देह से परे साबित करने में असफल रहा है तथा अनुपस्थित है, जिस कारण अभियुक्तगण **अननत सिंह व अशोक सिंह** पर लगाये गये आरोप से दोषमुक्त किये जाने योग्य है।

**आदेश**

अभियुक्तगण **अननत सिंह व अशोक सिंह** पर लगाये गये आरोप अपराध संख्या 164/2000, अन्तर्गत धारा 323, 324, 504 भा०दं०सं०, थाना रेउसा, जनपद सीतापुर से दोषमुक्त किया जाता है। अभियुक्तगण जमानत पर हैं उनके जमानतनामें निरस्त किये जाते हैं तथा प्रतिभूगणों को उनके दायित्वों से उन्मोचित किया जाता है। पत्रावली आवश्यक कार्यवाही के पश्चात नियमानुसार अभिलेखागार प्रेषित की जाये।

**दिनाँक 25.07.2026**

**(कुंवर दिव्यदर्शी)**
**न्यायिक मजिस्ट्रेट**
**बिसवाँ सीतापुर।**

उपरोक्त निर्णय व आदेश आज दिनाँक 25.07.2026 को मेरे द्वारा खुले न्यायालय में हस्ताक्षरित व दिनांकित कर सुनाया गया।

**दिनाँक–25.07.2026**

**(कुंवर दिव्यदर्शी)**
**न्यायिक मजिस्ट्रेट**
**बिसवाँ सीतापुर।**

सुयश (स्टेनो)/–